

प्रेषक,

एल० वैकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : २६ जून, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि का वर्ष 2013-14 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-६०९९/राहत सहायता, दिनांक-३० अप्रैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय राहत समिति की बैठक दिनांक ०५.१२.२०१२ में अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में कुल धनराशि रु० १,४९,६४,९०२/- की मांग की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-३२५५/१-१०-२०१३-१२(१७)/१२, दिनांक २३ जनवरी, २०१३ द्वारा विभिन्न विभागों के अनुमोदित कार्यों के लिए मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष ५० प्रतिशत धनराशि के रूप में रु० ७४,८२,४५१/- की धनराशि स्वीकृत की गयी। तत्काल में शासनादेश संख्या-१७२४/१-१०-२०१३-१२(१७)/१२, दिनांक ०२ मई, २०१३ द्वारा अधिशासी अभियंता, लो० नि०वि० खण्ड-१ बाराबंकी के लिए अवशेष धनराशि रु० २१,०७,०००/- एवं अधिशासी अभियंता, लो० नि०वि० खण्ड-३ के लिए अवशेष धनराशि रु० ७,९३,०००/- अर्थात् कुल धनराशि रु० २९,००,०००/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अब आपके उक्त पत्र दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ द्वारा अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड-बाराबंकी के लिए अवशेष धनराशि रु० ३३,६७,७५०/-, अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड-गोण्डा के लिए रु० ४,४८,०००/- एवं जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के लिए अवशेष धनराशि रु० ७,६६,७०१/- की मांग की गयी है। अतः उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल अवशेष धनराशि रु० ४५,८२,४५१/- (रूपये पैंतालिस लाख बयासी हजार चार सौ इक्यावन मात्र) आपके निवृत्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व

पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं0 2660 / 1-10-2012-रा-10-33(171) / 2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तराधित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक अंकलित लागत का ही धनांवंटन किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7 / 2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785 / 1-10-2011-12(73) / 2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कठिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693 / 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फोड़ करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ-2 / 1-11-2013

—रा०-११, दिनांक ०४ मार्च, २०१३ में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बघत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक ३१ मार्च, २०१४ से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

९. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

१०. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
एल० वैकटेश्वर ल० ८/८
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या नै८५१२/१-१०-२०१३-१२(१७)/२०१२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- २— आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद/प्रमुख सचिव/सिंचाई/बेशिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- ३— प्रमुख अभियंता, सिंचाई/निदेशक, बेशिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ६— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- ७— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
- ८— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-५, उ०प्र० शासन।
- ९— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- १०— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- ११— गार्ड फाइल।

आज्ञा से
२१.०६.१३
(जी० श्रीनिवास)
विशेष सचिव।